

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वातंत्र्य केवल आवस्यीय प्रयोजनाधि

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 682 दिनांक 21/08/2020

प्राथीकता ① जमीनी मधु माथुर एवं ② आर. एस. माथुर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवस्यीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8342/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/2390, 2391

दिनांक 21/08/2020 को जमा करा दी है ।

P-No: 17/615 कॉर्पोरेशन
शहरी बोर्ड

21/08/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवस्यीय

21/08/2020